

बिहार सरकार
त्रिभुवन सचिवालय विभाग

सं- मंमं-01/आर०-26/2009दिनांक- सितम्बर, 2009

संकल्प

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के आलोक में बिहार की जल की आवश्यकताओं एवं विभिन्न उपयोगों हेतु उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 'राज्य जलनीति, 2009' के प्रारूप पर विचार हेतु सचिवों की समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1. मुख्य सचिव :- अध्यक्ष
2. विकास आयुक्त :- सदस्य
3. कृषि उत्पादन आयुक्त :- सदस्य
4. प्रधान सचिव, वित्त विभाग :- सदस्य
5. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग :- सदस्य सचिव
6. प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग :- सदस्य
7. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :- सदस्य
8. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग :- सदस्य

2. सचिवों की समिति को सचिवालय सहायता जल संसाधन विभाग उपलब्ध करायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मंमं-01/आर०-26/2009 1626 दिनांक-8 सितम्बर, 2009
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

319